

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक 02/4/18

संख्या-1/विविध-8013/05 का. - 2206 / श्री अमित खरे, भा.प्र.से. (झा:1985), विकास आयुक्त, झारखण्ड (अतिरिक्त प्रभार-सदस्य, राजस्व पर्वद, झारखण्ड) को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 02.04.2018 से 11.05.2018 तक कुल 40 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी जाती है।

2. श्री खरे की अवकाश अवधि तक के लिए श्री सुखदेव सिंह, भा.प्र.से. (झा:1987), अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, GRDA) अपने कार्यों के साथ विकास आयुक्त, झारखण्ड के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

02/04/18

(अरुण कुमार सिन्हा)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/विविध-8013/05 का.- 2206 / राँची, दिनांक 02/4/18
प्रतिलिपि - नोडल पदाधिकारी, ई0 गजट, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

02/04/18

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/विविध-8013/05 का.- 2206 / राँची, दिनांक 02/4/18
प्रतिलिपि - महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/सम्बन्धित कोषागार/सम्बन्धित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. प्रधान महालेखाकार, झारखण्ड, राँची से अनुरोध है कि श्री अमित खरे, भा.प्र.से. (झा:1985) की छुट्टी अनुमान्यता प्रतिवेदन भेजने की कृपा की जाय।

02/04/18

सरकार के अवर सचिव।